



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60330

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 740 वर्ष 2026

संदीप कुमार

..... पुनरीक्षणयाची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणयाची(गणों) के अधिवक्ता : नम्रता शुक्ला, संतोष कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी(गणों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उन्होंने पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के साथ यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

2. पुनरीक्षण याचिका में उल्लिखित राहत का विवरण नीचे दिया गया है:-

"अतः इस माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वह इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए और औरैया स्थित प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय द्वारा भरण- पोषण मामले संख्या 71/2021 धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत श्रीमती कंचन तिवारी एवं अन्य बनाम संदीप कुमार में दिनांक 05.11.2025 को पारित किए गए निर्णय आदेश को रद्द कर दे, जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 2 को 4000/- रुपये प्रति माह और प्रतिपक्षी संख्या 3 को 2500/- रुपये प्रति माह (कुल 6500/- रुपये प्रति माह) आवेदन की तिथि यानी 18.01.2021 से भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया है।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया है और धारा 125 दंड प्रक्रिया के तहत दायर आवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर विचार करते समय धारा 125(4) दंड प्रक्रिया के संबंध में कोई मुद्दा निर्धारित नहीं किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पत्नी ने आवेदक- पति को परेशान करने के लिए ही आवेदन दायर किया है और आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदक- पति के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वह धारा 125 दंड प्रक्रिया के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।

5. इस न्यायालय ने धारा 125 दंड प्रक्रिया के तहत दायर आवेदन का अवलोकन किया है और उक्त आवेदन के पैराग्राफ 3, 4, 5 और 6 में पत्नी ने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने साथ और नाबालिग बच्चे के साथ हुए दुर्व्यवहार का विवरण दिया है, साथ ही दहेज की मांग का भी जिक्र किया है। उक्त आवेदन के पैराग्राफ 3, 4, 5 और 6 का विवरण नीचे दिया गया है:

"3. यह कि शादी के बाद से ही प्रार्थिनी के पति संदीप कुमार , सास अनीता व ननद निधि अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रुपयों की मांग को लेकर प्रार्थिनी के साथ मारपीट करने लगे , भूखा प्यासा रखने लगे तथा प्रार्थिनी का मोबाइल तोड़ दिया जिससे प्रार्थिनी अपने साथ हो रहे क्रूरता पूर्ण व्यवहार की जानकारी किसी को नहीं दे सकी तथा प्रार्थिनी की अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पहली रक्षाबन्धन की विदा किसी प्रकार हो सकी तथा प्रार्थिनी के पति संदीप कुमार ने कहा यदि मेरे व मेरे परिवारीजनों द्वारा किये जा रहे क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में किसी को जानकारी दी तो मेरा मरा मुंह देखोंगी तथा प्रार्थिनी के भाई बांके बिहारी के साथ प्रार्थिनी को बगैर जेवरात व रुपयों के मायके भेज दिया।

4. यह कि दिनांक 11 अगस्त 2017 को जब मेरे पति मुझे लेने आये तो मेरी मम्मी ने दो लाख रुपये देने में असमर्थता प्रकट की और कहा कि पहले अपने घर वालों से बात करो कि आगे से मेरी बिटिया को प्रताड़ित नहीं किया जायेगा तब फिर हम बिटिया को तुम्हारे साथ भेजेंगे। मेरे पति ने घर वापस जाकर हम सबको भयभीत करने के लिए रात 9 बजे फांसी लगाकर आत्म हत्या का प्रयास किया। सूचना मिलते ही 01 घंटे के अन्दर प्रार्थिनी ससुराल पहुंच गई। प्रार्थिनी को गर्भावस्था के दौरान आठ-आठ दिन तक खाना नहीं दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. यह कि 01 अप्रैल सन 2018 को प्रार्थिनी के माता-पिता अपने साथ इलाज के लिए मायके ले गये, इटावा में आप्रेशन से बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म के बाद सन्दीप कुमार इटावा हॉस्पिटल में आये व मेरे मम्मी पापा से माफी मांगी व आगे अच्छी प्रकार रखने की बात कही जिस पर प्रार्थिनी नवम्बर 2018 को अपने बच्चे सहित ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचते ही पुनः प्रार्थिनी व बच्चे के साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। सर्दी में बच्चे को ठण्डे पानी में डुबो देते थे जिस पर बच्चे को पानी में झटपटाता देखकर दिलो दिमाग पर गहरी चोट लगी और प्रार्थिनी दिनांक 08.8.2019 को अपने बीमार बच्चे को लेकर पिता के साथ मायके आ गई जिस पर प्रार्थिनी के पति सन्दीप कुमार प्रार्थिनी के मायके आये व अपनी गलती मानते हुए पुनः अपने साथ ले जाने की बात कही तथा प्रार्थिनी के माता, पिता के सामने प्रार्थिनी व पति के मध्य समझौतानामा लिखा गया जिस पर सन्दीप कुमार ने लिखकर दिया कि वह प्रार्थिनी के साथ मारपीट व क्रूरता पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा, पूरा ख्याल रखेगा, जिस पर जनवरी 2020 को प्रार्थिनी अपने पति के साथ ससुराल पहुंची।

6. यह कि दिनांक 31.3.2020 को अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रुपये की मांग को लेकर प्रार्थिनी के पति सन्दीप कुमार, सास अनीता, ननद निधि व बड़ी ननद रुचि ने रात 8 बजे मां-बहिन की गंदी गंदी गालियां देते व जान से मारने की धमकी देते हुए लात घूसों व डण्डों से मारपीट करने लगे तथा प्रार्थिनी के पेट में आप्रेशन वाले स्थान पर लाते मारी। मामला थाने पहुंचा तो प्रार्थिनी व पति सन्दीप कुमार के मध्य मामला समझा बुझाकर शान्त करा दिया गया तथा एक समझौतावनामा लिखा गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रार्थिनी का पति प्रार्थिनी को लेने आयेगा। परन्तु प्रार्थिनी का पति जब एक सप्ताह बाद लेने नहीं आया तो प्रार्थिनी के मामा शशिकान्त मिश्रा ने सन्दीप से दिनांक 05.11.2020 को फोन से बात की तो जानकारी हुई कि वह उनके घर वाले पहले ही तरह प्रताड़ित व क्रूरतापूर्ण व्यवहार करेंगे तथा इन लोगों की मंशा जान से मारने की है जिस कारण प्रार्थिनी ने एक शिकायती प्रार्थनापत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक औरैया को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 12.01.2021 को प्रेषित किया।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पत्नी ने आवेदन में यह भी कहा है कि पति के पास उसका भरण- पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं , इसलिए वह अपने और नाबालिग बच्चे दोनों के लिए भरण-पोषण पाने की हकदार है।

7. इस न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया द्वारा दिनांक 05.11.2025 को पारित आदेश का भी अवलोकन किया है , जिसके द्वारा पत्नी को 4,000/- रुपये और नाबालिग बच्चे को 2,500/- रुपये, कुल 6,500/- रुपये की मामूली राशि भरण-पोषण के रूप में स्वीकृत की गई है। इस प्रकार, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 05.11.2025 के आदेश द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है।

9. तदनुसार, संबंधित न्यायालय को रजनेश बनाम नेहा (2021) 2 एससीसी 324 के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार दिनांक 05.11.2025 के आदेश का पालन करने के निर्देश के साथ तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

24 मार्च, 2026

के. तिवारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।